छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 7–6/2005/1/6 रायपुर दिनॉक 07/11/2005

प्रति,

1 समस्त विभाग/ विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

2 समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का कियान्वयन ।

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा –2 उपधारा (डी) अनुसार लोक प्राधिकारी की परिभाषा में गैर सरकारी संगठन का भी समावेश है। अतएव स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे गैर सरकारी संगठन जिन्हें शासन से पिछले वित्तीय वर्ष में रुपये 2.00 लाख तक की वार्षिक वित्तीय सहायता मिली हो,अथवा उनके कुल वार्षिक आवर्त (Turn -over) का 25 प्रतिशत शासकीय वित्तीय सहायता के रुप में हुआ है, ऐसे सभी गैर सरकारी संगठनों पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 लागू होगा।

सभी लोक प्राधिकारियों से विनती है कि अपने कार्यालय अंतर्गत कार्यरत एवं उक्त श्रेणी में आने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची का स्वयं प्रकटीकरण (Pro-active Disclosure) करें ।

(नन्द कुमार)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग